अनुबंध

अनुबंध-1.1

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत नए एम्स तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	पीएमएसएसवाई चरण	एम्स/ जीएमसीआई	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम
1	बिहार	I	एम्स	एम्स, पटना, बिहार।
		III	जीएमसीआई	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा, बिहार।
		III	जीएमसीआई	श्री कृष्णा चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।
2	छत्तीसगढ़	I	एम्स	एम्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3	गुजरात	I	जीएमसीआई	बीजेएमसी, अहमदाबाद, गुजरात।
		III	जीएमसीआई	पीडीयू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, राजकोट, गुजरात।
4	हरियाणा	II	जीएमसीआई	रोहतक चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक, हरियाणा।
5	हिमाचल प्रदेश	II	जीएमसीआई	आरपीएमसी, टांडा, हिमाचल प्रदेश।
6	जम्मू एवं कश्मीर	I	जीएमसीआई	जेएमसी, जम्मू; जम्मू एवं कश्मीर।
7	झारखंड	I	जीएमसीआई	आरआईएमएस, रांची, झारखंड।
		III	जीएमसीआई	पाटलीपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद, झारखंड।
8	कर्नाटक	I	जीएमसीआई	बीएमसी, बैंगलोर, कर्नाटक।
9	मध्य प्रदेश	I	एम्स	एम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।
		III	जीएमसीआई	गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
10	महाराष्ट्र	II	जीएमसीआई	जीएमसी, नागपुर, महाराष्ट्र।
		I	जीएमसीआई	जीएमसी, मुंबई, महाराष्ट्र।
11	ओडिशा	I	एम्स	एम्स, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
12	पंजाब	II	जीएमसीआई	जीएमसी, अमृतसर, पंजाब।
13	राजस्थान	I	एम्स	एम्स, जोधपुर, राजस्थान।
		III	जीएमसीआई	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

14	तमिलनाडु	I	जीएमसीआई	जीएमसी, सलेम, तमिलनाडु।
15	तेलंगाना	I	जीएमसीआई	एनआईएमएस, हैदराबाद, तेलंगाना।
16	उत्तर प्रदेश	II	एम्स	एम्स, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
		II	जीएमसीआई	एएमयू, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
		I	जीएमसीआई	आईएमएस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
17	उत्तराखंड	I	एम्स	एम्स, ऋषिकेश, उत्तराखंड।
	कुल	**26**	**7- एम्स; 19-जीएमसीआई**	

अनुबंध-3.1

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों का निष्क्रिय होना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	राशि
1.	जेएनएमसी-अलीगढ़	एमओएचआरडी ने एकबार अतिरिक्त अनुदान के रूप में जेएनएमसी को ₹25.00 करोड़ का अंतरण किया (अक्तूबर 2012 में)। 2012-17 के दौरान जेएनएमसी ने ₹12.35 करोड़ का व्यय किया तथा ₹12.65 करोड़ की शेष राशि बैंक में अव्ययित रही।	**12.65**
2.	एनआईएमएस-हैदराबाद	कार्यकारी एजेंसी के बिलों का अंतिम रूप न दिए जाने तथा अंतर विश्लेषण/डीपीआर में प्रस्तावित उपकरण के गैर-प्रापण के कारण ₹12.83 करोड़ की राशि एनआईएमएस के पास उपलब्ध थी।	**12.81**
3.	आरआईएमएस-रांची	आरआईएमएस-रांची के खाते में ₹8.51 करोड़ फरवरी 2009 से अक्तूबर 2012 तक की अवधि के लिए अव्ययित पड़े थे।	**8.51**
4.	आरपीजीएमसी-टांडा	मंत्रालय ने अगस्त 2013 में सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आरपीजीएमसी-टांडा को ₹10 करोड़ की राशि का अंतरण किया परंतु संस्थान जनवरी 2015 तक इससे अवगत नहीं था कि राशि जमा कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2013 से जनवरी 2015 के बीच निधियों का अवरोधन हुआ। आरपीजीएमसी-टांडा ने अपने उत्तर (जून 2017) में बताया कि मंत्रालय से निधियों के अतंरण के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। संस्थान के उत्तर ने दर्शाया कि बैंक के साथ नियमित समाधान नहीं किया जा रहा था।	**10.00**
5.	आईएमएस-वाराणसी	एमओएचआरडी ने उन्नयन हेतु आईएमएस-वाराणसी को ₹20.00 करोड़ जारी किए (फरवरी 2007)। जिसमें से संस्थान ने 2012-14 के दौरान उपकरण के प्रापण हेतु मैसर्स एचएलएल को ₹18.70 करोड़ का अतंरण किया। इस प्रकार, 2007-12 के दौरान ₹18.70 करोड़ निष्क्रिय रहे।	**18.70**
		मंत्रालय ने दिसंबर 2008 में उपकरणों के प्रापण हेतु संस्थान को ₹1.18 करोड़ जारी किये। तथापि, निधियों को जुलाई 2014 तक संस्थान के चालू खाते में निष्क्रिय रखा गया था। यह बताया गया था कि अनुदान रेडियोलॉजी विभाग के एचडीआर ब्राचीथेरेपी के लिए था और 5 वर्षों से अधिक समय तक इसका पता नहीं चला था।	**1.18**
कुल			**63.85**

अनुबंध-3.2

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

निधियो का विपथन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम	विवरण	राशि
1.	बीजेएमसी-अहमदाबाद	मंत्रालय ने उपकरण के प्रापण हेतु बीजेएमसी-अहमदाबाद को ₹18.68 करोड़ जारी किए। जिसमें से ₹3.59 करोड़ की राशि का बीजेएमसी सिविल अस्पताल द्वारा व्यापक अनुरक्षण संविदा तथा उपभोज्य वस्तुओं के प्रापण के लिए उपयोग किया गया था।	**3.59**
2.	बीएमसीआरआई-बैंगलौर	• प्रापण हेतु कुल ₹4.84 करोड़ की निधियों का सिविल निर्माण कार्यों के प्रति विपथन किया गया था। • कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल ₹3.07 करोड़ की निधियों का केन्द्रीकृत वातानाकूलन हेतु विपथन किया गया था। • संस्थान के कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल ₹0.91 करोड़ की निधियों का लघु सिविल निर्माण कार्यों हेतु विपथन किया गया था। • एक व्यापक अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का ₹5 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रस्ताव किया गया था। तथापि, ₹3.98 करोड़ का केन्द्रीकृत वातानाकूलन तथा अतिरिक्त लघु निर्माण कार्यों हेतु विपथन किया गया था।	**4.84** **3.07** **0.91** **3.98**
3.	एनआईएमएस-हैदराबाद	मंत्रालय ने जेआईपीएमईआर द्वारा स्वीकृत अंतर विश्लेषण में दर्शाए गए उपकरण के प्रापण हेतु ₹7.68 करोड़ की राशि जारी की थी। परंतु एनआईएमएस ने ₹90 लाख की राज्य सरकार की निधियों सहित इस राशि का ₹8.58 करोड़ की लागत पर गैस विविध प्रणाली की संस्थापना हेतु उपयोग किया था।	**7.68**
4.	आरआईएमएस-रांची	मैसर्स एचएलएल ने आरआईएमएस, रांची के नौ विभिन्न उन्नत विभागों में संस्थापना हेतु ₹2.64 करोड़ की लागत के 56 उपकरण जैसे आईसीयू वेंटिलेटर एबीजी मशीन, कलर डॉपलर आदि का प्रापण तथा आपूर्ति की थी। तथापि यह पाया गया था कि इन उपकरणों का अन्य विभागों में उपयोग हेतु विचलन किया गया था।	**2.64**
कुल			**26.71**

अनुबंध-3.3

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	विवरण	राशि
1.	जेएनएमसी-अलीगढ़	एमएचआरडी ने जेएनएमसी-अलीगढ़ को ₹25.00 करोड़ जारी किए (अक्तूबर 2012) जिसके प्रति 2012-17 के दौरान ₹12.35 करोड़ का व्यय किया गया था। यह पाया गया था कि ₹12.35 करोड़ के यूसी जेएनएनसी-अलीगढ़ द्वारा मार्च 2017 तक एमएचआरडी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	**12.35**
2.	बीएमसीआरआई-बैंगलौर	संस्थान ने राज्य सरकार द्वारा पीएमएसएसवाई योजना के अंतर्गत ₹6.79 करोड़ की जारी राशियों हेतु उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किया।	**6.79**
3.	एनआईएमएस-हैदराबाद	राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये तथा एनआईएमएस-हैदराबाद द्वारा उपयोग किए गए ₹60.20 करोड़ में से ₹31.18 करोड़ के लिए यूसी प्रस्तुत की गई, परिणामस्वरूप जुलाई 2017 की समाप्ति तक ₹29.02 करोड़ के लिए यूसी का प्रस्तुतीकरण नहीं हुआ।	**29.02**
4.	पं. बीडीएस, पीजीआईएमएस-रोहतक	₹42.75 करोड़ के कुल निर्गम में से ₹21.01 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, इसके यूसी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	**21.01**
5.	जीएमकेएमसी-सेलम	मंत्रालय ने जीएमकेएमसी-सेलम को ₹4.27 करोड़ जारी किए (मार्च 2011) जिसको उपकरण के प्रापण तथा आपूर्ति हेतु टीएनएमएससी के पास राशि जमा की (जुलाई 2011)। टीएनएमएससी ने उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापना की (अप्रैल 2010 से नवम्बर 2014)। जीएमसी ने मंत्रालय को यूसी प्रेषित नहीं किए थे जिसका परिणाम शीर्ष 'उपकरण' के अंतर्गत ₹3.65 करोड़ की शेष निधि प्राप्त नहीं हो सकी।	**4.27**

6.	आरपीजीएमसी-टांडा	कुल ₹42.50 करोड़ की निधियां डा. आरपीजीएमसी द्वारा मंत्रालय से नवम्बर 2011 से नवम्बर 2014 के बीच प्राप्त की गई थी। इन निधियों को आगे मार्च 2013 तथा मार्च 2015 के बीच कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा जून 2017 तक यूसी/समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। यूसी के गैर प्रस्तुतीकरण का परिणाम मंत्रालय द्वारा ₹10.00 करोड़ के गैर-निर्गम में हुआ जो सिविल निर्माण कार्यों के लिए थे।	**42.50**
7.	आईएमएस-वाराणसी	**(i)** आईएमएस वाराणसी में ₹86.23 करोड़ का व्यय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सिविल तथा विघुत निर्माण कार्यों पर किया गया था (मार्च 2017)। तथापि, सीपीडब्ल्यूडी ने 2016-17 तक केवल ₹1.59 करोड़ के यूसी प्रस्तुत किए तथा ₹84.64 करोड़ की शेष राशि के यूसी अब तक (मार्च 2017) प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	**84.64**
		(ii) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि आईएमएस-वाराणसी तथा जेएनएससी-अलीगढ़ हेतु चिकित्सा उपकरण के प्रापण हेतु एचएलएल द्वारा किए गए क्रमश: ₹21.20 करोड़ तथा ₹13.20 करोड़ के व्यय के बावजूद कार्यकारी एजेंसी द्वारा मंत्रालय को यूसी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	**34.40**
कुल			**234.98**

अनुबंध-3.4

(पैराग्राफ 3.11 के संदर्भ में)

नए एम्स/जीएमसीआई द्वारा किए गए परिहार्य/अनियमित/अधिक भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम	अभ्युक्ति	राशि
1.	एम्स-भोपाल	**बिजली मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान** संस्थान ने विघुत खपत के अविवेकपूर्ण निर्धारण तथा अपेक्षित विघुत घटक के गैर-अनुरक्षण के कारण बिजली के बिलो के कारण ₹1.61 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।	**1.61**
		सेवाकर का अनियमित भुगतान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 25/2012- सेवा कर दिनाँक 20 जून 2012 (विषय सं. 9) के अनुसार; सहायक शैक्षणिक सेवाओं[1] के संबंध में शैक्षिक संस्थान को अथवा द्वारा प्रदत्त सेवाएं जुलाई 2012 से सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थीं। एम्स, भोपाल ने जनवरी 2013 से अक्तूबर 2015 की अवधि के दौरान विभिन्न अभिकरणों द्वारा सुरक्षा; सफाई तथा हाउसकीपिंग सेवाओं हेतु प्रदत्त सेवाओं के संबंध में सेवाकर के प्रति ₹41 लाख का भुगतान किया इस प्रकार ₹41 लाख का अनियमित व्यय किया गया। संस्थान ने बताया (जून 2017) कि उन्होने अक्तूबर 2015 से सेवा कर के भुगतान को रोक दिया था। तथापि, तथ्य है कि संस्थान ने सेवा प्रदात्ता से अनियमित रूप से अदा किए गए सेवा कर की वसूली/वापसी हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की है।	**0.41**
2.	एम्स-भुवनेश्वर	**बिजली मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान** 1,000 केवीए की अनुबंधित मांग के प्रति जनवरी 2014 से मार्च 2015 के दौरान बिजली की वास्तविक खपत 13 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच थी जो विघुत घटक जुर्माने को आकर्षित करता है। इसलिए, ₹26.33 लाख की राशि इस कारण सीईएसयू को जुर्माने के रूप में अदा की।	**0.26**

[1] सहायक शैक्षणिक सेवाओ का तात्पर्य किसी भी सेवाओं से है जो किसी कौशल, ज्ञान, शिक्षा प्रदान करने अथवा पाठ्यक्रम विषय के विकास अथवा कोई अन्य ज्ञान वृद्धि गतिविधि से संबंधित है।

क्र.सं.	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम	अभ्युक्ति	राशि
3.	**एम्स-पटना**	**बिजली मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान** हाईटेशंन लाईनों हेतु दक्षिण बिहार विघुत संवितरण कम्पनी लिमिटेड की दर-सूची नीति के अनुसार बिलिंग की मांग माह के दौरान दर्ज अधिकतम मांग अथवा अनुबंधित मांग का 85 प्रतिशत, जो भी अधिक है, होगी। एम्स-पटना में अस्पताल परिसर हेतु 1400 केवीए की अनुबंधित मांग (अप्रैल 2013 से) के प्रति संस्थान द्वारा बिजली की वास्तविक खपत 120 केवीए से 905 केवीए के बीच थी परंतु संस्थान को 1,190 केवीए (1400 केवीए के अनुबंधित भार का 85 प्रतिशत) हेतु अदा करना था। नवम्बर 2014 में, संस्थान ने अनुबंधित भार को 1400 केवीए से 6,667 केवीए तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया क्योंकि नर्सिंग महाविघालय के छात्रावास सहित तीन नए ऑपरेशन थेयटर वाले ट्रॉमा केन्द्र के दो मालों को जल्द ही क्रियात्मक किया जाना था। जनवरी 2015 में, संस्थान को 6,667 केवीए के प्रस्तावित अनुबंधित भार का आबंटन किया गया था। जनवरी 2015 से मार्च 2017 के दौरान, 6,667 केवीए के अनुबंधित भार के प्रति संस्थान की अधिकतम मांग 296 केवीए से 1,240 केवीए के बीच थी परंतु संस्थान को 5,666.95 केवीए (6,667 केवीए का 85 प्रतिशत) हेतु प्रभार अदा करने थे। इसका परिणाम दिसंबर 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान अधिक मांग प्रभारो के प्रति ₹3.77 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।	**3.77**
4.	**एम्स-रायपुर**	**विद्युत मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान** 1500 केवीए बिजली की आपूर्ति हेतु जनवरी 2013 में एम्स-रायपुर और छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा संवितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), के बीच अनुबंध हुआ था। तत्पश्चात् इसे सितम्बर 2013 से प्रभावी 2500 केवीए तथा 1 अगस्त 2014 से प्रभावी 5,000 केवीए तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, ऊर्जा की कम खपत को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने अनुबंध मांग कम करने के लिए सीएसपीडीसीएल से अनुरोध किया था अगस्त 2014। तदनुसार, मौजूदा 5,000 केवीए के प्रति 2,500 केवीए की आपूर्ति के लिए सीएसपीडीसीएल, रायपुर के साथ अनुबंध किया गया था (फरवरी	**1.71**

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नए एम्स/जीएमसीआई का नाम</th><th>अभ्युक्ति</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2015)। बिजली के बिलों में यह पाया गया था कि फरवरी 2013 और मार्च 2017 के बीच की अनुबंध मांग के प्रति संस्थान की बिजली खपत 82 से लेकर 1,496 केवीए के बीच थी। इस प्रकार, बिजली की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन के कारण संस्थान ने अनुबंध मांग से कम खपत के कारण ₹1.71 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था। संस्थान ने बताया (जुलाई 2017) कि अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>एम्स-भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश</td><td>अध्ययन संसाधन भत्ते का अनियमित दिया जाना
दिनांक 8.8.2014 के परिपत्र सं. 28016/103/2013 एसएसएच के माध्यम से मंत्रालय ने सारे एम्स को अनुदेश दिया कि “अध्ययन संसाधन भत्ते” (एलआरए) को तुरंत रोक देना चाहिए और इसकी बजाय एम्स में संकाय सदस्य/समूह ‘क’ अधिकारियों को उनके कार्य से संबंधित पुस्तकों/जर्नलों आदि के क्रय हेतु पुस्तकालय/प्रशासन को मांग भेजने की स्वीकृति दी जा सकती है। हालांकि, एलआरए के रूप में संस्थानों द्वारा ₹2.27 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
नए एम्स द्वारा एलआरए का भुगतान
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नए एम्स का नाम</th><th>अवधि</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भोपाल</td><td>2013-14 से 2015-16</td><td>0.47</td></tr>
<tr><td>2</td><td>भुवनेश्वर</td><td>2013-14 से 2016-17</td><td>0.70</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जोधपुर</td><td>2012-13 से 2013-14</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रायपुर</td><td>2014-15 से 2016-17</td><td>0.43</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ऋषिकेश</td><td>2012-13 से 2016-17</td><td>0.21</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पटना</td><td>2014-15 से 2016-17</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल</td><td>2.27</td></tr>
</table>
</td><td>2.27</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>एम्स-रायबरेली</td><td>परामर्श-कार्य शुल्क का अतिरिक्त भुगतान
अनुबंध के अनुसार, मंत्रालय को मैसर्ज एचएससीसी को ₹14.15 करोड़ के परामर्श-कार्य शुल्क का भुगतान किया जाना था। हालांकि, परामर्शदाता को ₹2.88 करोड़ की राशि के परामर्श-कार्य शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।</td><td>2.88</td></tr>
</table>

क्र.सं.	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम	अभ्युक्ति	राशि
7.	**आईएमएस-वाराणसी**	**परामर्श कार्य शुल्क का अतिरिक्त भुगतान** फरवरी 2007 को मंत्रालय और मैसर्स एचएलएल के बीच हुए एमओयू के अनुसार निर्माण लागत घटक पर सात प्रतिशत की दर पर और चिकित्सा उपकरण लागत घटक पर दो प्रतिशत की दर पर परामर्श-कार्य शुल्क भुगतान योग्य था। **आईएमएस-वाराणसी** ने कुछ सुविधाओं के निर्माण के लिए एचएलएल के साथ एमओयू किया था जिसके लिए एमओएचआरडी द्वारा ₹20 करोड़ की निधियां प्रदान की गई थीं। इस राशि में से सिविल निर्माण कार्य का घटक केवल ₹1.85 करोड़ था। हालांकि, निर्माण कार्य लागत घटक को सात प्रतिशत परामर्श-कार्य शुल्क प्रतिबंधित करने की बजाय मैसर्ज एचएलएल को संपूर्ण परियोजना लागत के लिए सात प्रतिशत परामर्श-कार्य शुल्क का भुगतान किया गया था। इसके कारणवश उपकरणों के प्रापण के लिए परामर्श-कार्य शुल्क के प्रति ₹91 लाख (₹18.15 करोड़ का पांच प्रतिशत) का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।	**0.91**
8.	**बीजेएमसी-अहमदाबाद**	**सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान** दिनांक 18 मार्च 1999 के भारत सरकार, वित्त मंत्रालय पत्र एफ सं. 354/28/99-टीआरयू के साथ पढ़े गए दिनांक 10.08.1999 के परिपत्र सं. 50/99-सीयूएस (टीयू) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे या नियंत्रित अस्पतालों को आयातित चिकित्सा उपकरण के क्रय के प्रति संबंधित राज्य सरकार से सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र लेना होगा और सीमा शुल्क प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बीजेएमसी, अहमदाबाद ने 36 उपकरणों के लिए सीमा शुल्क के प्रति ₹92.40 लाख का भुगतान किया था क्योंकि संस्थान ने राज्य सरकार से सीमाशुल्क छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रबंध नहीं किया था। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि सीमाशुल्क छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	**0.92**
		कुल	**14.74**

अनुबंध-3.5

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

नए एम्स द्वारा करों की कम कटौती/कटौती न किया जाना

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नए एम्स का नाम</th><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एम्स-भोपाल</td><td>स्रोत पर कर की कम कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के अंतर्गत प्रदत्त रूप से वित्त वर्ष के दौरान ₹30,000/- से अधिक किसी भी रेज़ीडेंट को भुगतान किए गए व्यवसायिक/तकनीकी शुल्क का 10 प्रतिशत की दर पर स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) होनी चाहिए। हालांकि, संस्थान ने परामर्श कार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दो परामर्शदाताओं को किए गए भुगतानों पर दो प्रतिशत की दर पर टीडीएस को कटौती की थी। इसके कारणवश ₹ 52.00 लाख की कम कटौती हुई थी जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है:

टीडीएस की कम कटौती

(₹ लाख में)
<table>
<tr><th>नाम</th><th>भुगतान की गई राशि</th><th>10% की दर पर कटौती किए जाने वाला कर</th><th>2% की दर पर कटौती किया गया कर</th><th>टीडीएस की कम कटौती</th></tr>
<tr><td>मैसर्ज एनार्क परामर्श कार्य प्रा. लिमि.</td><td>630.15</td><td>63.01</td><td>12.60</td><td>50.41</td></tr>
<tr><td>मैसर्ज प्रेम चौधरी एवं एसोसिएट्स प्रा. लिमि.</td><td>17.25</td><td>1.73</td><td>0.35</td><td>1.38</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>647.40</td><td>64.74</td><td>12.95</td><td>51.79</td></tr>
</table>
संस्थान ने बताया (जुलाई 2017) कि मैसर्स एनार्क परामर्श कार्य से संबंधित कार्य मध्यस्थता के अंतर्गत था और यदि कोई कम कटौती होगी तो उसे अंतिम समझोते के समय पूरा कर लिया जाएगा तथा मैसर्स प्रेम चौधरी के मामले में ₹ 9.80 लाख की राशि का एक बिल लंबित था तथा यदि कोई कम कटौती हुई होगी तो उसमें से पूरी कर ली जाएगी।</td><td>0.52</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एम्स रायबरेली</td><td>परामर्श-कार्य शुल्क से टीडीएस की कटौती न होना

मैसर्स एचएससीसी ने परियोजना निधियों से जुलाई 2015 तक ₹ 8.67 करोड़ तक का अपना परामर्श-कार्य शुल्क डेबिट कर लिया था। परामर्श-कार्य शुल्क पर व्यय को</td><td>0.87</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नए एम्स का नाम</th><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>राजस्व व्यय के रूप में “व्यवसायिक सेवाओं” के अंतर्गत दर्ज किया जाना था तो परियोजना निधियों से परामर्श कार्य शुल्क के आहरण के कारण, राशि को पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर दिया गया था। इसके कारणवश, आयकर अधिनियम के 194 (जे) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार ₹ 86.70 लाख (परामर्श-कार्य शुल्क की 10 प्रतिशत की दर पर) की राशि के टीडीएस की कम कटौती के रूप में भी हुआ था।</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>एम्स-रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश और रायबरेली</td><td>संविधिक वसूलियां
₹7.97 करोड़ की राशि के सांविधिक देयताएं अर्थात् रॉयल्टी, टीडीएस और मूल्य वर्धित कर आदि की कटौती नहीं की गई थी या कम दरों पर कटौती की गई थी जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि अंतिम बिल से रॉयल्टी की कटौती की जाएगी जोकि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी देय राशियों का संचय करना स्वीकार्य नहीं था।
नहीं की गई सांविधिक वसूलियों का विवरण
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>नए एम्स का नाम</th><th>वसूली न किए गए/कम वसूली किए गए करों का विवरण</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>रायपुर</td><td>➢ रॉयल्टी
➢ टीडीएस की कम कटौती</td><td>1.84
0.32</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जोधपुर</td><td>➢ रॉयल्टी
➢ वैट की कम कटौती (पैकेज-I)
➢ वैट की कम कटौती (पैकेज-II)
➢ सेवा कर</td><td>3.35
0.34
0.29
0.16</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ऋषिकेष</td><td>रॉयल्टी (पैकेज-II एवं IV).</td><td>0.57</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>रायबरेली</td><td>रॉयल्टी (पैकेज-I)</td><td>0.58</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">कुल</td><td>7.45</td></tr>
</table></td><td>7.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल</td><td>8.84</td></tr>
</table>

अनुबंध - 5.1

(पैराग्राफ 5.3 के संदर्भ में)

पीएमएसएसवाई के अंतर्गत जीएमसीआई की परियोजना वार स्थिति

क्र. सं.	चरण	जीएमसीआई का नाम	निर्माणकार्य का नाम	निर्माण आरंभ किया गया	समाप्ति हेतु समय (महीनों में)	समाप्ति के लिए लिया गया समय (महीनों में)	महीनों में विलंब	मार्च 2017 को स्थिति
1.	I	जेएमसी-जम्मू	सुपर स्पेशयेलिटी ब्लॉक भवन निर्माण कार्य	फरवरी 2008	15	47	32	पूर्ण
2.	I	आरआईएमएस-रांची	सुपर स्पेशयेलिटी, ऑन्कोलॉजी एवं सेवा ब्लॉक का निर्माण	अक्तूबर 2009	20	42	22	पूर्ण
3.	I	बीएमसीआरआई-बैंगलोर	ट्रॉमा ब्लॉक का निर्माण	जनवरी 2007	12	96	84	पूर्ण
			विक्टोरिया टॉवर ब्लॉक का निर्माण		12	36	24	
4.	I	जीएमकेएमसी-सेलम	सुपर स्पेशयेलिटी ब्लॉक एवं ट्रॉमा देखभाल केन्द्र का निर्माण	जनवरी 2008	12	48	36	पूर्ण
5.	I	एनआईएमएस-हैदराबाद	स्पेशयेलिटी अस्पताल का निर्माण	मार्च 2008	15	34	19	पूर्ण
6.	I	बीजेएमसी-अहमदाबाद	नर्सिंग विद्यालय तथा महाविद्यालय का निर्माण	जुलाई 2010	14	28	14	उपकरण का प्रापण प्रगति में है।
7.	I	जीएमसी-मुम्बई	प्रशासनिक भवन का निर्माण	अप्रैल 2011	30	92	62	प्रगति पर (95 प्रतिशत पूर्ण)
8.	I	आईएमएस-वाराणसी	ट्रॉमा ब्लॉक विद्युत संस्थापन एवं स्वच्छता कार्य सहित	अक्तूबर 2008	20	58	38	पूर्ण
9.	II	जीएमसी-अमृतसर	बाबे नानकी मातृ एवं शिशु देखभाल	अगस्त 2011	18	31	13	पूर्ण

क्र. सं.	चरण	जीएमसीआई का नाम	निर्माणकार्य का नाम	निर्माण आरंभ किया गया	समाप्ति हेतु समय (महीनों में)	समाप्ति के लिए लिया गया समय (महीनों में)	महीनों में विलंब	मार्च 2017 को स्थिति
			केन्द्र का निर्माण					
			सेवा ब्लॉक	अगस्त 2011	18	31	13	
			नैदानिक एवं सुपर स्पेशयेलिटी ब्लॉक	जनवरी 2012	18	41	23	कार्यभार सौंपना अभी भी प्रगति में है
10.	II	पीटी. बीडीएस, पीजीआईएमएस-रोहतक	जीएमसी का उन्नयन	नवम्बर 2012	18	55	37	प्रगति पर (86 प्रतिशत पूर्ण)
11.	II	आरपीएमसी-टांडा	सुपर स्पेश्यलिटी ब्लॉक का निर्माण	नवम्बर 2011	18	26	8	पूर्ण
			मॉड्यूलर और सामान्य ओटी के लिए निर्माण कार्य	दिसम्बर 2014	4	4	--	
			चिकित्सा गैस पाईपलाईन प्रणाली	दिसम्बर 2014	7	7	--	
			एनाटॉमी ब्लॉक, व्याख्यान थियेटर एवं परीक्षा हॉल	जून-11	24	24	--	
			प्रथम वर्ष एमबीबीएस छात्रावास	जून-16	24	प्रगति में	--	प्रगति पर
12.	II	जीएमसी-नागपुर	नये वार्डों का निर्माण	अगस्त 2014	12	15	3	प्रगति पर (3 आईसीसीयू का निर्माण: 70 प्रतिशत पूर्ण)
			आईसीसीयू का निर्माण	मई 2016	15	15	--	
			ट्रॉमा देखभाल केन्द्र का निर्माण	अगस्त 2012	18	22	4	
			सुपर स्पेशयेलिटी अस्पताल में विंग ए में वार्डों का निर्माण	दिसम्बर 2016	15	15	--	
			कम्पाउंड वाल एवं सेवा सड़कों का निर्माण	नवम्बर 2015	6	6	--	

क्र. सं.	चरण	जीएमसीआई का नाम	निर्माणकार्य का नाम	निर्माण आरंभ किया गया	समाप्ति हेतु समय (महीनों में)	समाप्ति के लिए लिया गया समय (महीनों में)	महीनों में विलंब	मार्च 2017 को स्थिति
13.	II	जेएनएमसी-अलीगढ़	निर्माण कार्य	जनवरी 2011	21	53	32	पूर्ण लेकिन उपकरण का प्रापण प्रगति में
14.	III	डीएमसीएच-दरभंगा	जीएमसी का उन्नयन	दिसम्बर 2016	18	प्रगति में	-	8.50 प्रतिशत पूर्ण
15.	III	एसकेएमसी-मुजफ्फरपुर	जीएमसी का उन्नयन	दिसम्बर 2016	18	प्रगति में	-	9.25 प्रतिशत पूर्ण
16.	III	पीडीयूएमसी-राजकोट	जीएमसी का उन्नयन	जून 2016	-	प्रगति में	--	मई 2017 में निर्माणकार्य आरंभ किया गया
17.	III	पीएमसीएच-धनबाद	जीएमसी का उन्नयन	नवम्बर 2016	16	प्रगति में	-	30 प्रतिशत पूर्ण
18.	III	जीआरएमसी-ग्वालियर	सुपर स्पेशयेलिटी ब्लॉक	जुलाई 2016	16	प्रगति में	-	18 प्रतिशत पूर्ण
19.	III	जीएमसी-कोटा	सुपर स्पेशयेलिटी ब्लॉक का निर्माण	मई 2016	16	प्रगति में	-	32 प्रतिशत पूर्ण

अनुबंध-5.2

(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)

उपकरण का संस्थापन न किया जाना/संस्थापन में विलंब होना

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत	माह जिनमें उपकरण संस्थापित नहीं किए गए थे	संस्थापन न किए जाने/ संस्थापन में विलंब का कारण
1.	बीजेएमसी-अहमदाबाद	4	1.08	10 से 19	अगस्त 2015 तथा मई 2016 को सिविल अस्पताल अहमदाबाद द्वारा जीवरसायन विभाग तथा पैथोलोजी विभाग के उपकरण अर्थात् एलीसा जांच प्रणाली, स्टेम सैल प्रयोगशाला तथा स्वचालित प्रतिरक्षण प्राप्त किए गए थे। हालांकि, बीजेएमसी द्वारा अपर्याप्त प्रयासों के कारण उस तिथि तक उपकरण को संस्थापित नहीं किया जा सका। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि उपकरण के संस्थापन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
		152	5.40	3 से 13	संस्थापन में विलंब मुख्यतः अभियंता के देर से दौरे या संस्थापन हेतु आवश्यक प्रबंध (बिजली या सिविल) हेतु लिए गए समय के कारण हुआ था।
2.	पीटी. बीडीएस, पीजीआईएमएस-रोहतक	12	2.18	3 से 7	➢ डिजीटल रेडियोग्राफी, बहुउद्देशीय मॉनीटर क्रमशः 18 सितम्बर 2016 और 9 जनवरी 2017 को संबंधित विभागों को जारी किए गए थे परंतु अप्रैल 2017 तक संस्थापित नहीं किए गए थे।
		67	5.39	4 से 25	उपकरण अर्थात् कलर डॉपलर पोर्टेबल, एनसथीसिया वर्क स्टेशन, पॉवर ड्रिल प्रणाली आदि के संस्थापन में विलंब के कारण रोगियों को सेवा प्रदान करने पर प्रभाव पड़ा। निदेशक ने निगमन सम्मेलन के दौरान बताया कि संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए कुछ जटिल तकनीकी

					मुद्दों के कारण मशीनरी तथा उपकरण के संस्थापन में विलंब हुआ था।
3.	आईएमएस-वाराणसी	1	1.65	13	मार्च 2016 में प्राप्त ₹1.65 करोड़ की लागत वाली डिजीटल रेडियोग्राफी को खराब एक्सरे टेबल की आपूर्ति के कारण मार्च 2017 तक संस्थापित नहीं किया जा सका था।
		34	12.02	6 से 23	➢ उपकरण "फ्लेट पैनसिनेल डिजीटल कार्डयेक कैथ लैब सिंगल मोनो प्लेन" का अक्तूबर 2009 में एचएलएल द्वारा प्रापण व सुपूर्द किया गया था परंतु संस्थापित अप्रैल 2011 में किया गया था। ➢ मंत्रालय ने मार्च 2017 तक एचएलएल को ₹21.62 करोड़ जारी किये थे जिसमें से एचएलएल ने ₹16.12 करोड़ के चिकित्सा उपकरण का प्रापण किया था। हालांकि, 6 से 23 माह के विलंब के साथ ₹7.65 करोड़ की लागत वाले चिकित्सा उपकरण को संस्थापित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ट्रॉमा सेंटर का परिचालन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, ₹5.78 करोड़ (48 प्रतिशत) की लागत वाले उपकरण को अभी तक (मार्च 2017) संस्थापित नहीं किया गया था।
4.	जीएमसी-जम्मू	65	5.24	48 से 84	2009-13 के दौरान प्रापण किए गए उपकरण को मार्च 2017 तक संस्थापित नहीं किया गया था।
5.	जीएमसी-मुम्बई	1	0.56	90	अपेक्षित सिविल और विद्युतकार्यों और अन्य वैधानिक अनुमतियों के अभाव में पांच उपकरण को संस्थापित नहीं किया गया था।
6.	जीएमसी-नागपुर	4	0.42	7 से 24	
7.	बीएमसीआर आई-बैंगलौर	16	16.65	7 से 39	लंबी अवधि के लिए संस्थापन में विलंब उपकरण के पुराने पड़ जाने का निहित जोखिम था क्योंकि संस्थापन और प्रवर्तन में लाने की तिथि से 24 माह के लिए वारंटी वैध रहनी थी

					जिसके पश्चात् 5 वर्षों की अवधि के लिए व्यापक अनुरक्षण अनुबंध चलता था।
8.	जीएमसी-अमृतसर	2	6.51	12 से 14	फिटिंग/फिक्सचर को निर्धारित न करने और अपेक्षित श्रमशक्ति की उपलब्धता न होने के कारण जुलाई 2016 और सितम्बर 2016 के बीच प्राप्त उपकरण को उसकी प्राप्ति से 8 माह की अवधि के पश्चात भी कार्य में नहीं लाया गया था।
9.	जीएमकेएमसी-सलेम	12	2.26	26 से 41	➢ एसएसबी तथा ट्रॉमा केयर सेंटर को केवल बहिरंग रोगियों की देखभाल सेवाओं के लिए क्रमशः फरवरी 2011 और जुलाई 2011 के दौरान खोला गया था। हाई एंड उपकरण को सेवाओं के मिलने से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् संस्थापित किया गया था। ➢ उपकरण के संस्थापन के देखरेख करने के लिए विशेषज्ञों और तकनीशियनों की नियुक्ति करने में विफलता के कारण नेफ्रोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक विभाग में सेवाओं की शुरूआत करने में विलंब हुआ।
10.	आरपीजीएमसी-टांडा	38	11.89	3 से 20	उपकरण की आपूर्ति में विलंब के मामले में जुर्माना लगाने की धारा निविदाओं/आपूर्ति आदेशों में थी, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। संस्थान ने आपूर्तिकर्ताओं से किसी प्रकार की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त नहीं की थी जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 का उल्लंघन था।
कुल		**408**	**71.25**		

अनुबंध-5.3

(पैराग्राफ 5.7 के संदर्भ में)

व्यर्थ/कार्य नहीं कर रहे उपकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत	उपकरण की प्राप्ति की तिथि	उपकरण के व्यर्थ पड़े रहने की अवधि	उपयोग में न लाए जाने का कारण
1.	आरआईएमएस-रांची	67	10.93	-	2009 से 2016	टूटफूट, विभाग के कार्यात्मक न होने, श्रमशक्ति की कमी आदि के कारण 2009 और 2016 के बीच संस्थापित उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था।
		18	1.78	नवम्बर 2013 से जून 2014 तक	दिसम्बर 2013 और जून 2014	
2.	बीएमसीआरआई-बैंगलौर	6	2.22	नवम्बर 2008 से अक्तूबर 2013	2011 से 2017	➢ ₹17 लाख की लागत वाले उपकरण को आपूर्तिकर्ता द्वारा मई 2017 तक चालू नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण उपकरण को आज तक उपयोग में नहीं लाया गया था। ➢ 2011-13 के दौरान प्राप्त ₹ 2.05 करोड़ की लागत वाले छः उपकरण मरम्मत की आवश्यकता के कारण व्यर्थ पड़े रहे थे।
3.	जीएमसी-मुंबई	17	4.31	2010	2010 से 2017 तक	➢ सॉफ्टवेयर समस्याओं, सहायता उपकरण/अवसंचना,

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत	उपकरण की प्राप्ति की तिथि	उपकरण के व्यर्थ पड़े रहने की अवधि	उपयोग में न लाए जाने का कारण
4.	जीएमसी-नागपुर	11	3.72	2012 से 2015 तक	2012 से 2017 तक	कमियों के होने का कारण उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे। ➢ 21 मामलों में, जीएमसीआई ने प्राप्ति, संस्थापन की तिथि तथा कार्य न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए थे।
5.	आरपीजीएमसी-टांडा	2	1.56	मई 2016	नवम्बर 2016	मैसर्स एचएलएल के माध्यम से प्रापण की गई मशीने संस्थापन से व्यर्थ पड़ी हुई थी (नवम्बर 2016)। मार्च 2017 में, एक मशीन इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला में स्थानांरित की गई थी।
		821[2]	3.94	अगस्त-सितम्बर 2015	जून 2017.	अगस्त-सितम्बर 2015 में प्राप्त 985 मदों (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, टेबलेट और अन्य बाह्य उपकरण) के प्रापण पर ₹3.94 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था परन्तु इनमें से 821 मदें जून 2017 तक अप्रयुक्त रहीं। संस्थान ने बताया (जून 2017) कि विशेषज्ञ डॉक्टर की आईजीएमसी, शिमला (मार्च 2016) में प्रतिनियुक्ति के कारण मशीन का उपयोग नहीं

[2] डेस्कटॉप कम्प्यूटर: 133; वर्कस्टेशन: 8; नेटवर्क प्रिंटर: 44; लेज़रजेट प्रिंटर: 122; एचपी टेबलेट: 231; वीओआईपीस्मार्ट विडियो सेट: 113; वीओआईपी ऑडियो सेट: 170

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत	उपकरण की प्राप्ति की तिथि	उपकरण के व्यर्थ पड़े रहने की अवधि	उपयोग में न लाए जाने का कारण
						किया जा रहा था और राज्य सरकार के निर्देशों (फरवरी 2017) के अनुपालन में एक मशीन को आईजीएमसी शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था।
6.	बीजेएमसी-अहमदाबाद	25	3.22	फरवरी 2017	-	₹2.35 करोड़ की लागत पर प्रापण किए गए 21 वेंटीलेटर, ₹0.58 करोड़ की लागत पर तीन इथाईलीन ओक्साइड स्टेरीलाइज़र तथा ₹0.29 करोड़ की लागत पर प्रापण किया गया एक जनरेटर सेट अपूर्ण सिविल कार्य के कारण संस्थापित नहीं पाया गया था।
7.	जीएमकेएमसी-सेलम	7	1.41	अप्रैल 2010 से मई 2010 तक	मई 2010 से जनवरी 2011 तक	पांच से लेकर 76 माह की अवधि के लिए मरम्मत और गैर-अनुरक्षण के कारण ₹1.41 करोड़ की लागत वाले पांच विभागों में सात उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे।
8.	जेएमसी-जम्मू	2	1.58	अगस्त 2012 और मार्च 2013	अगस्त 2013 और जुलाई 2015	सीएसएसडी उपकरण कार्य नहीं कर रहा था और एएमसी अनुबंध की अनुपलब्धता के कारण इसको अनुरक्षित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, 32 सीसीटीवी कैमरा संस्थापित किए गए थे परन्तु कार्य नहीं कर रहे थे।

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत	उपकरण की प्राप्ति की तिथि	उपकरण के व्यर्थ पड़े रहने की अवधि	उपयोग में न लाए जाने का कारण
9	पीटी. बीडीएस, पीजीआईएमस-रोहतक	1	0.32	जून 2006	5 महीनें	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में स्थापित पूर्ण स्वचालित एलिसा रीडर निर्दिष्ट सूक्ष्म युक्तियों, जो मशीन को कार्यशील बनाने में आवश्यक थे, की अनुपलब्धता के कारण गैर कार्यात्मक थे।
कुल		**977**	**34.99**			

अनुबंध-5.4

(पैराग्राफ 5.8 के संदर्भ में)

अनुमोदित सूची से बाहर उपकरण का प्रापण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	आरआईएमएस-रांची	96	2.36	167 मल्टीपारा मॉनिटरों में से, 71 एचएलएल द्वारा सुपूर्द किए गए और 96 आरआईएमएस द्वारा खरीदे गए। हालांकि, आरआईएमएस-रांची द्वारा खरीदे गए 96 मल्टीपारा मॉनीटर, रांची चिकित्सा उपकरणों की अनुमोदित सूची में नहीं थे।
		2	0.18	मंत्रालय के चिकित्सा उपकरणों की अनुमोदित सूची में मशीनें नहीं होने के बावजूद, ₹18 लाख की कीमत वाली दो डायथर्मी मशीन खरीदी गई।
2.	जेएनएमसी-अलीगढ़	30	0.63	मैसर्स एचएलएल ने 15 मॉनीटर के अनुमोदन के प्रति ₹95.24 लाख की लागत वाली 45 मरीज मॉनीटर (5 पैरामीटर) के प्रापण की है, जिसके परिणामस्वरूप ₹63.49 लाख की लागत की 30 मॉनीटर की अधिक खरीद हुई। जेएनएमसी ने बताया कि जैसे ही ट्रॉमा केन्द्र शुरू होता है, उपकरण का उपयोग किया जाएगा।
3.	बीएमसीआरआई-बैंगलोर	4	0.45	उपकरण खरीदे गए थे जो मंत्रालय द्वारा जांच की गयी अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किये गये थे।
4.	आईएमएस-वाराणसी	6	6.66	एमओएचआरडी निधि में से, आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बिना ₹6.66 करोड़ की मूल्य की इमेज इंटेंसिफायर सहित सी-आर्म, फ्लैश स्टरलाईजर, संपूर्ण आर्थोस्कोपी प्रणाली, बैटरी संचालित ड्रिल एवं सॉ प्रणाली इत्यादि के प्रापण की गयी थी तथा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डीपीआर का भाग नहीं था।
5.	जीएमसी-मुंबई	70	3.34	मंत्रालय के चिकित्सा उपकरण की अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किये जाने के बावजूद, वेंटीलेटर, कम्प्यूटर रेडियोग्राफी प्रणाली, स्टरलाईजर इत्यादि का प्रापण किया गया था।
6.	जीएमसी-नागपुर	85	6.24	मंत्रालय के चिकित्सा उपकरण की अनुमोदित सूची में शामिल नहीं किये जाने के बावजूद, विडियो इंडोस्कोप, आईसीयू मॉनीटरिंग प्रणाली, कलर डॉप्लर इको एवं अल्ट्रासाउंड मशीन इत्यादि का प्रापण किया गया था।
कुल		**293**	**19.86**	

अनुबंध-5.5

(पैराग्राफ 5.9 के संदर्भ में)

चिकित्सा उपकरणों का व्यापक अनुरक्षण अनुबंध

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जीएमसीआई का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की लागत	गैर-अनुरक्षण के कारण उपकरण का कार्य न करना		टिप्पणी
				संख्या	अवधि महिनों में	
1.	जीएमसी-अमृतसर	8	0.87	8	4 से 22	12 महिनों से मरम्मत की आवश्यकता के कारण ₹0.75 करोड़ लागत के दो उपकरण अप्रयुक्त पडे रहे।
2.	आईएमएस-वाराणसी	13	9.68	13	--	उपकरण को स्वीकृति की तिथि से पांच वर्षों की वारंटी अवधि के साथ मई 2013 में फर्म-ए से प्राप्त किया गया एवं संस्थापित किया गया था लेकिन आपूर्तिकर्ता ने समस्या का नि:शुल्क समाधान करने से मना कर दिया तथा अतिरिक्त प्रभार की मांग की।
3.	जीएमकेएमसी-सेलम	126	17.35	16	2 से 36	➢ 136 उपकरणों में से, संस्थान ने 10 उपकरणों के लिए सीएमसी अनुबंध किया। ₹17.35 करोड़ की लागत वाले शेष 126 उपकरण के लिए, जीएमसी, सेलम, ने सीएमसी अनुबंध नहीं किया। ➢ ₹1.85 करोड़ की लागत से खरीदे गए सोलह उपकरण जो दो से लेकर 36 माह से मरम्मत के अधीन थे, उन्हें प्रतिस्थापित/ मरम्मत नहीं किया जा सका तथा उनका उपयोग होता रहा, क्योंकि वे सीएमसी के अंतर्गत शामिल नहीं थे।
कुल		**147**	**27.90**	**37**		